न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–175/1995
CIS NO TS 317/2018

बागड़ महतो एवं अन्य...वादीगण

बनाम

भुली उर्फ भूलन साह एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
27.05.2025	आवेदकगण की ओर से पैरवी है। वाद पुकार किया गया। आवेदकगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 13.05.2025 अंतर्गत आदेश 22 नियम 03 व्यवहार प्रक्रिया संहिता को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदन में कथन किया गया है कि प्रस्तुत वाद के एकमात्र वादी बागड़ महतो की मृत्यु दिनांक 24.04.2025 को हो गई। बागड़ महतो अपने पीछे अपने विधिक वारीसान के रूप में तीन पुत्र कैलाश प्रसाद, प्रमोद प्रसाद और जितेन्द्र प्रसाद को छोड़कर मर गये। इनकी पत्नी इनके जीवन काल में ही मर चुकी है। लेहाजा, इनके तीनों पुत्र इस वाद के आवश्यक पक्षकार है, जिनका नाम वादपत्र के वादी कॉलम में प्रतिस्थापित करना जरूरी है। वादी कॉलम से वादी बागड़ महतो का नाम कलमजद कर उनके जगह पर उनके विधिक वारीसान का नाम प्रतिस्थापित करना जरूरी है। प्रतिस्थापन आवेदन समय–सीमा के अन्दर है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वाद पत्र से वादी बागड़ महतो का नाम कलमजद कर, उनके विधिक वारीसान का नाम प्रतिस्थापित करने का आदेश देने की कृपा करें। इसके लिए आवेदकगण श्रीमान् का सदा आभारी रहेंगे। प्रतिवादीगण की ओर से आवेदकगण के आवेदन का कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया लेकिन आवेदकगण के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया एवं आवेदन खारिज होने योग्य बताया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के एकमात्र वादी बागड़ महतो की मृत्यु दिनांक 24.04.2025 हो चुकी है। आवेदकगण द्वारा दाखिल आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है।	

<u>न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–175/1995</u>

<u>CIS NO TS 317/2018</u>

बागड़ महतो एवं अन्य..वादीगण

बनाम

भुली उर्फ भूलन साह एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार **27.05.2025**	नियमन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नियमन K Rudrappa V/S Shivappa AIR 2004, SC 4346 एवं Ganesh Prasad Badrinath Lahoti V/S Sanjeev Prasad Jamuna Prasad Chaurasia AIR 2004, SC 4158 के आलोक में तथा न्यायहित में आवेदकगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 13.05.2025 स्वीकार किया जाता है तथा आवेदकगण को मृतक वादी बागड़ महतो का नाम वाद पत्र से कलमजद करने एवं उनके विधिक वारीसानों का नाम प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाता है। वाद दिनांक 16.06.2025 वास्ते अग्रिम कार्रवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	